न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 73/2022 रा.वा.

1. श्री देवीसिंह पिता गमेरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी प्रतापनगर बस्सी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—वादी

बनाम

1. श्री उम्मेदसिंह पिता गमेरसिंह राजपुत उम्र बालिग।
2. श्रीमती पदमबाई पति सवसिंह राजपुत उम्र बालिग
सभी निवासी प्रतापनगर बस्सी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 27/08/24

उपस्थितः— श्री राजकुमार जैन—अधिवक्ता वादीगण
एक पक्षीय — प्रतिवादीगण

::निर्णय::

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है कि मुल पुरूष गमेरसिंह थे जिनके तीन पुत्र उम्मेदसिंह, देवीसिंह व सवसिंह थे जिसमे सवसिंह की मृत्यु हो गई जिसकी वारिसान पदमबाई है जिनके अलावा स्वर्गीय मुल पुरूष श्री गमेरसिंह के कोई वारिसान नही है। वादग्रस्त भूमि मौजा प्रतापनगर पटवार हल्का बस्सी सामचोत तहसील सलूम्बर के संवत् 2075 से 2078 तक के खाता सं. 161 आराजी नम्बर 3704/3443 रकबा 1.08 हैक्टेयर तथा खाता सं. 162 कुल किता 30 रकबा 3.07 हैक्टेयर स्थित है जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन नही हुआ है परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा मौके पर बिना विभाजन किये हुये मौके से जमीन को विक्रय करना चाहता है ज़िस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा वाद पेश किया है। वाद कारण दिनांक 18—08—2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि मे अन्य दिगर व्यक्ति को मौके पर कब्जा कराने हेतु जमीन को बता रहे थे व कृषि भूमि को विक्रय करने की बात की उस दिन उत्पन्न हुआ जिसके उपरान्त से अनवरत जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमाइ जावे कि वाद वर्णित भूमि मे जब तक मौके पर सही विभाजन

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नही होवे तब तक किसी भी प्रकार से विक्रय या हस्तान्तरण नही किया जावे व नही उक्त कार्य अंन्य किसी परिंजन, नौकर अथवा मंजदुर से करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 23–11–2022 को बावजुद सूचना के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के ना तो पेशी पर हाजिर आए ना ही जवाब पेश किया इसलिये पत्रावली मे तनकीयात नही बनाई गई। वादी ने अपने वादपत्र की पुष्ठी गवाह स्वयं वादी के बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 161 नकल व प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 162 की नकल पेश की।

वकील वादी ने बहस करते हुए वादपत्र को दोहराया एवं वाद वर्णित भूमि मे जब तक मौके पर सही विभाजन नही होवे तब तक प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि का किसी भी प्रकार से विक्रय या हस्तान्तरण नही करे इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वादी का वादपत्र एवं वादी गवाह के कथनो एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजा को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 मौजा प्रतापनगर पटवार हल्का बस्सी सामचोत भू.अ.नि. खैराड के खाता संख्या 161 किता 1 रकबा 1.08 हैक्टेयर व खाता संख्या 162 कुल किता 30 रकबा 3.07 हैक्टेयरं आराजीयात की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात की भूमि होकर अविभाजित होना प्रकट आया है। प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि मे सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाहि गई स्थाई निषेधाज्ञा की दाद दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/08/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरं से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 73/2022 रा.वा.

1. श्री देवीसिंह पिता गमेरसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी प्रतापनगर बस्सी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

–वादी

बनाम

1. श्री उम्मेदसिंह पिता गमेरसिंह राजपुत उम्र बालिग।
2. श्रीमती पदमबाई पति सवसिंह राजपुत उम्र बालिग

सभी निवासी प्रतापनगर बस्सी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि दावा वादी स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 27/08/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
उपखण्ड अधिकारी
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	04	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	–	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	06	–	योग	00	–

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर